

समरूप शिकायत प्रक्रियाओं (यूनिफॉर्म कंप्लेंट प्रोसीजर्स या UCP) के बारे में वार्षिक सूचना

2019 - 2020 स्कूल सत्र

(बोर्ड नीति 1312.3)

छात्रों, कर्मचारियों, माता-पिता / अभिभावकों, स्कूल और जिला सलाहकार समिति के सदस्यों, निजी स्कूल के अधिकारियों और अन्य इच्छुक पार्टियों के लिए

द एल्क ग्रोव यूनिफाइड स्कूल डिस्ट्रिक्ट की, संघीय और राज्य कानूनों और विनियमों का अनुपालन करने की प्राथमिक जिम्मेदारी है। हमने गैरकानूनी भेदभाव, उत्पीड़न, धमकाने, और परेशान करने, और शैक्षिक कार्यक्रमों को संचालित करने वाले राज्य या संघीय कानूनों का उल्लंघन करने, और गैरकानूनी छात्र शुल्क लगाने, और हमारे स्थानीय नियंत्रण और जवाबदेही योजना (LCAP) के गैर-अनुपालन, की शिकायतों के आरोपों को संबोधित करने के लिए एक समरूप शिकायत प्रक्रिया (UCP) की स्थापना की है।

ऐसे किसी भी कार्यक्रम या गतिविधि, जो किसी ऐसी एजेंसी द्वारा संचालित किया जाता हो, जिसे राज्य द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय सहायता प्राप्त होती हो, के दौरान किसी भी ऐसे व्यक्ति, जो कि किसी ऐसे संरक्षित समूह का भाग हो या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ हो, जो शिक्षा संहिता खंड 200 और 220, और सरकारी संहिता की धारा 11135 में परिभाषित हो, या जिनमें ऐसी कोई वास्तविक या कथित विशेषता हो जो दंड संहिता की धारा 422.55 में निर्धारित की गयी है, के खिलाफ सभी गैरकानूनी भेदभाव, उत्पीड़न, धमकाने और परेशान करने के आरोपों की हम जांच करेंगे।

UCP के अधीन आने वाले कार्यक्रम और गतिविधियाँ

UCP निम्नलिखित में राज्य और / या संघीय कानूनों का पालन करने में विफलता की शिकायत से संबंधित आरोपों में भी प्रयोग किया जाएगा:

- गर्भवती और बच्चों वाले छात्रों को दी जाने वाली सुविधाओं में
- वयस्क शिक्षा
- स्कूल के बाद शिक्षण और सुरक्षा
- कृषि कैरियर तकनीकी शिक्षा
- करियर तकनीकी और तकनीकी शिक्षा, करियर तकनीकी, तकनीकी प्रशिक्षण (राज्य)
- करियर तकनीकी शिक्षा (संघीय)
- शिशु देखभाल और विकास

- अनुपूरक शिक्षा
- शैक्षिक सामग्री के बिना पाठ्यक्रम के पीरियड

**समरूप शिकायत प्रक्रियाओं (यूनिफॉर्म कंप्लेंट प्रोसीजर्स या UCP) के बारे में वार्षिक सूचना
2019 - 2020 स्कूल सत्र
पृष्ठ 2**

- फॉस्टर केयर में बच्चों की शिक्षा, बेघर छात्र, पूर्व बाल अपराधी जो अब स्कूल जिले में दाखिल हैं और सैन्य परिवारों के बच्चे
- प्रत्येक छात्र सफल (Every Student Succeeds) अधिनियम
- स्थानीय नियंत्रण और जवाबदेही योजनाएं (LCAP)
- प्रवासी शिक्षा
- शारीरिक शिक्षा अनुदेशात्मक कार्यविवरण
- छात्र की फीस
- स्तनपान कराने वाली छात्रों के लिए उचित सुविधाएं
- क्षेत्रीय व्यावसायिक केंद्र और कार्यक्रम
- छात्र की उपलब्धि के लिए स्कूल की योजना
- स्कूल सुरक्षा योजना
- स्कूल कार्यस्थल समितियां (School site Councils)
- राज्य प्रीस्कूल
- LEA में राज्य प्रीस्कूल के स्वास्थ्य और सुरक्षा के मुद्दे जिन्हें लाइसेंस से छूट है

छात्र शुल्क

छात्र शुल्क में निम्नलिखित शामिल हैं किंतु इन तक सीमित नहीं हैं:

1. शुल्क जो छात्र से स्कूल या कक्षाओं में दाखिले के लिया जाता है, या किसी कक्षा या पाठ्यक्रम से अतिरिक्त गतिविधि में भाग लेने की शर्त के रूप में लिया जाता है, फिर चाहे वह कक्षा या गतिविधि वैकल्पिक या अनिवार्य हो या क्रेडिट के लिए हो।
2. किसी ताले, लॉकर, किताब, कक्षा में प्रयोग आने वाली वस्तु, संगीत वाद्य, कपड़ों, या अन्य सामग्री या उपकरणों के लिए छात्र द्वारा दिए जाने वाला कोई सुरक्षा पेशगी (सिक्यूरिटी डिपोजिट) या कोई अन्य भुगतान।
3. छात्र को किसी शैक्षिक गतिविधि से संबंधित सामग्री, आपूर्ति, उपकरण, या कपड़े प्राप्त करने के लिए जो खरीद करनी पड़ती है।

छात्र शुल्क या LCAP की शिकायत स्कूल के प्रिंसिपल या हमारे अध्यक्ष या उनके/की प्रतिनिधि के पास दर्ज की जा सकती है। छात्र शुल्क और/या LCAP की शिकायत गुप्त रूप से भी की जा सकती है, लेकिन, शिकायत करने वाले को शिकायत के समर्थन में कोई सबूत या जानकारी देनी होगी।

हमारे जिले के किसी सरकारी स्कूल में दाखिल छात्र को किसी भी शैक्षिक गतिविधि में भाग लेने के लिए कोई भी छात्र शुल्क नहीं देना पड़ेगा।

समरूप शिकायत प्रक्रियाओं (यूनिफॉर्म कंप्लेंट प्रोसीजर्स या UCP) के बारे में वार्षिक सूचना

2019 - 2020 स्कूल सत्र

पृष्ठ 3

छात्र शुल्क के बारे में शिकायत, कथित उल्लंघन की तारीख से एक साल के भीतर कर दी जानी चाहिए।

अतिरिक्त जानकारी

हम फॉस्टर और बेघर युवाओं, पूर्व बाल अपराधी जो अब स्कूल जिले के छात्र हैं और सैन्य परिवारों के छात्रों के लिए, शिक्षा संहिता अनुभाग 48645.7, 48853, 48853.5, 49069.5, 51225.1 और 51225.2 में निर्दिष्ट शैक्षिक अधिकारों का एक मानकीकृत नोटिस पोस्ट करेंगे। इस नोटिस में शिकायत प्रक्रिया की जानकारी, लागू होने की प्रक्रिया के अनुसार, शामिल होगी।

संपर्क जानकारी

छात्र शुल्क के अलावा शिकायतें लिखित में निम्नलिखित नियुक्त व्यक्ति के पास दर्ज की जानी चाहिए:

नाम या शीर्षक: कानूनी अनुपालन विशेषज्ञ

यूनिट या ऑफिस: मानव संसाधन

पता: Human Resources Department, Elk Grove Unified School District, 9510 Elk Grove-Florin Road, Elk Grove, CA 95624

फोन: (916) 686-7795

ईमेल: legalcompliance@egusd.net

उपरोक्त नामित व्यक्ति, अनुपालन और जांच के लिए जिम्मेदार है, और जांच के लिए सौंपे गए कानूनों और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी रखता/ती है।

शिकायत प्राप्त करने वाला/ली अनुपालन अधिकारी, शिकायत की जांच करने और समाधान के लिए किसी अन्य अनुपालन अधिकारी को नियुक्त कर सकता/ती है। यदि अनुपालन अधिकारी अपनी जगह किसी अन्य अनुपालन

अधिकारी को शिकायत की जांच करने के लिए नियुक्त कर रहे हैं, तो यदि लागू हो, तो उन्हें तुरंत शिकायतकर्ता और प्रतिवादी को सूचित करना होगा।

छात्र शुल्क के संबंध में शिकायत, अध्यक्ष या उनके/की प्रतिनिधि और/या स्कूल के प्रिंसिपल के पास दर्ज की जा सकती है।

भेदभाव, उत्पीड़न, धमकाने, या परेशान करने की कथित शिकायतें, भेदभाव, उत्पीड़न, धमकाने, या परेशान करने की सबसे पहली तारीख या शिकायतकर्ता को भेदभाव, उत्पीड़न, धमकाने, या परेशान करने के तथ्यों के बारे में सबसे पहले पता चलने की तारीख के छह (6) महीने के भीतर दर्ज करवा दी जानी चाहिए, जब तक अध्यक्ष या उनके/की प्रतिनिधि द्वारा यह तारीख आगे ना बढ़ा दी जाए।

समरूप शिकायत प्रक्रियाओं (यूनिफॉर्म कंप्लेंट प्रोसीजर्स या UCP) के बारे में वार्षिक सूचना

2019 - 2020 स्कूल सत्र

पृष्ठ 4

शिकायतों की जांच की जाएगी और शिकायत दर्ज किए जाने के साठ (60) दिनों के भीतर एक लिखित निर्णय या रिपोर्ट शिकायतकर्ता को भेजी जाएगी। इस समय अवधि को शिकायतकर्ता के लिखित समझौते द्वारा बढ़ाया जा सकता है। शिकायत की जांच के लिए जिम्मेदार व्यक्ति, धारा 4621 के तहत अपनाई गई स्थानीय प्रक्रियाओं के अनुसार जांच करेगा और पूरा करेगा।

शिकायतकर्ता को हमारे निर्णयों को प्राप्त करने के 15 दिनों के भीतर, विशिष्ट कार्यक्रमों, विद्यार्थियों की फीस और कैलिफोर्निया शिक्षा विभाग (CDE) से संबंधित LCAP की शिकायतों के बारे में हमारे निर्णय के खिलाफ, लिखित अपील दायर करने का अधिकार है। अपील मूल रूप से दर्ज की गई शिकायत की एक प्रति और हमारे निर्णय की एक प्रति के साथ दायर की जानी चाहिए।

शिकायतकर्ता को नागरिक कानून के उपायों की सलाह दी जाती है, जिनमें निषेधाज्ञा, निरोधक आदेश शामिल हैं, लेकिन उन तक सीमित नहीं हैं, या यदि लागू हो तो वे अन्य उपाय, जो राज्य या संघीय भेदभाव, उत्पीड़न, धमकी या धमकाने वाले कानूनों के तहत उपलब्ध हो सकते हैं।

लिखित शिकायतों की प्रक्रिया के बावजूद, कोई भी व्यक्ति जो यह मानता है कि वह या कोई अन्य छात्र या समूह, गैरकानूनी भेदभाव का शिकार हुआ है, तो वह इस कथित भेदभाव की मौखिक शिकायत, भेदभाव से संबंधित छात्र के टीचर (या कथित समूह के छात्र के टीचर), या उस स्कूल के प्रिंसिपल, या प्रिंसिपल के प्रतिनिधि, जहां यह कथित भेदभाव हुआ था, से कर सकता है। प्रिंसिपल या प्रिंसिपल के प्रतिनिधि, रिपोर्ट पर आगे की कार्यवाही करने की प्रक्रिया के लिए, इस अधिकार की खबर करने वाले व्यक्ति से एक लिखित शिकायत दर्ज करने के लिए कहेंगे। यदि मौखिक शिकायत करने वाला व्यक्ति लिखित में शिकायत नहीं देना चाहता, या अपनी पहचान नहीं बताना

चाहता, या आरोपियों के नाम नहीं बताता, तब भी स्कूल का यह फ़र्ज़ हो सकता है, कि वह कथित शिकायत की गंभीरता और छात्र या अन्य लोगों को भविष्य में किसी तरह के नुकसान के जोखिम को देखते हुए, शिकायत के खिलाफ़ किसी तरह का कोई कदम उठाए। हालांकि, इन चिंताओं की जाँच और/या इन पर प्रतिक्रिया की हद, जिले के पास उपलब्ध जानकारी की कमी के कारण, सीमित हो सकती है। गैरकानूनी भेदभाव की मौखिक शिकायतों पर जिले की प्रतिक्रिया, स्थानीय UCP में निहित प्रक्रिया के अनुसार ही दी जाएगी।

हमारी UCP शिकायत नीतियों और प्रक्रियाओं की एक प्रति निः शुल्क उपलब्ध है और जिले की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है: <http://www.egusd.net/about/district/policiesproceduresnotices/>

जिले की समरूप शिकायत प्रक्रियाओं या शिकायत या जांच प्रक्रिया में सहायता प्राप्त करने के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया मानव संसाधन के कानूनी अनुपालन कार्यालय को (916) 686-7795 पर संपर्क करें।